THE RUBBER (SECOND AMENDMENT) RULES, 1965

SHRI S. V. RAMASWAMY: Madam, I also beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 25 of the Rubber Act, 1947, a copy of the Ministry of Commerce Notification G.S.R. No. 1397, dated the 10th September, 1965, publishing the Rubber (Second Amendment) Rules, 1965. [Placed in Library. *See* No. LT-5128/65.]

THE DELHI MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1965—*contd.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: We go on to legislative business: The Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1965. Mr. Chordia to continue his speech.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, कल मैं दिल्ली मोटर वहिकिल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल पर चर्चा कर रहा था। चर्चा के दौरान मैंने यह निवेदन किया था कि इसमें जो शेड्यूल्ड में परिवर्तन किया जा रहा है उसमें कोई भी एम्ब्यूटा मत में जो प्रावधान था उस मे नहीं था। अब हम उसे टैक्स को कम कर रहे है, यह स्पष्ट है और यह कह कर हमको चलना चाहिए। मझे आश्चर्य होता है कि जब बहस चल रही थी उस के दौरान मे माननीय मंत्री जी ने यह प्रगट किया कि हमने उसी हिसाब से लोगों से पैसा लिया जिस हिसाब से हम यह परिवर्तन कर रहे है। वास्तव मे पुराने कानून का मंशा के अनुसार 11 टन का जो भार ट्रक था, वहिकिल था, उस मे 1100 रुपया वसूल किया जाना चाहिए, परन्तु हमारी सरकार अभी तक उन से वसूल करती रही 800 रुपया। तो यह भी एक प्रश्नवाचक चिह्न है जिस का उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए—कि 11 टन के वहिकिल वालों से क्यों 300 रुपया कम लेते रहे।

दूसरे, इसी संदर्भ में मैं निवेदन कर रहा था सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली यातायात व्यवस्था के बारे में। टैक्स भी ले रहे है, अगर उस के बावजूद जो राहत जनता को होनी चाहिए वह राहत होती नहीं। ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी, भगवान जाने न जाने, अब आप को क्या समझते है, उनके यहां लम्बे क्यू लगे रहते है। लोगों को मदद देनेकी अपेक्षा, उन की परेशानियां ही बढ़ाई जाती है। इस तरह से वहां भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि जो दो ट्रांसपोर्ट विभाग के इन्स्पैक्टर पकड़े गए थे, उन के यहां सामान जो निकला, वह उनकी आमदनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। उन कीरिहायश का जो तर्ज है उन को देखते हुए तो ऐसा लगता है और यहा तक समझा जायगा कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में नौकर रख दिया जाय तो वह वेतन भी नही मांगेगा और कहेगा कि मुझे यहां पर अपाइन्ट हो कर दीजिए, यही पर्याप्त है बाकी आमदनी का हिसाब-किताब मैं देख लूंगा। इस भयंकर भ्रष्टाचार के विभाग पर हमारी सरकार के द्वारा कुछ नियंत्रण किया जाना नितान्त आवश्यक है। हमारे इस विभाग का यह भी कर्तव्य है कि जनता के लिए अच्छ, सुविधा दें—चाहे डी० टी०यू० की, चाहे कन्ट्रेक्ट कैरिज हों, कोई भी बसेज हों, वह बसें यात्रियों को अच्छी सुविधा दें। अब यह प्रश्न आता है कि इस दिल्ली के इतने बड़े शहर में, राजधानी के केन्द्र में डी०टी०यू० का बसेज से या जो हायर की है कन्ट्रेक्ट केरिज बसेज, उन से लोगों को सन्तोष है या नही। हमारे यहां के शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी का समय 10 से 5 तक है, लेकिन इस के लिए इन कर्मचारियों को सवा आठ बजे से या 9 बजे से रवाना होना पड़ता है और शाम को 7 बजे तक घर पहुंचते है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां की यातायात व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है कि उस के कारण उस कर्मचारी को अपने कर्तव्य के लिए कार्यालय मे पहुंचने के लिए. . .